न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

(98)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1288 / 2017

प्रार्थीगण :

1. चन्द्राराम पुत्र किस्तूरराम
2. डूंगरराम पुत्र किस्तूरराम
3. मदनलाल पुत्र किस्तूरराम
4. पांचाराम पुत्र किस्तूरराम
5. मुकनाराम पुत्र किस्तूरराम
6. कबुड़ी पत्नी किस्तूरराम
7. झूमरराम पुत्र बालुराम
8. सायरराम पुत्र बालुराम
9. देवाराम पुत्र बालुराम

जातियान माली निवासीगण ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. जबराराम पुत्र किसनाराम
2. माधुराम पुत्र किसनाराम
3. बाबुलाल पुत्र किसनाराम
4. पांचाराम पुत्र किसनाराम
5. छोटाराम पुत्र थानाराम
6. लाबुराम पुत्र नैनाराम
7. बाबुलाल पुत्र रिमजीराम
8. अनोपाराम पुत्र लाबुराम
9. चैनाराम पुत्र लाबुराम

जातियान कुम्हार निवासीगण कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर ।

10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक कोसाणा ।
11. तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थीगण की ओर से

श्री बक्तावर सिंह जाखड़ अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 25.07.2019

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा भूमि खसरा संख्या 1285 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम स्थित है जिसमें प्रार्थीगण काबिज कास्त है तथा अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तरी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1292 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1292 के आगे उत्तरी दिशा की ओर रास्ता स्थित है जिसमें से होकर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे अपने खेत खसरा संख्या 1285 में आते जाते है व उक्त रास्ते को अपने कृषि कार्य हेतु आने जाने में अपने उपयोग में लेते है व उक्त रास्ते के अलावा खसरा संख्या 1285 में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.05.2017 को खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के रास्ते को कांटे व बाड़ डाल कर अवरूद्ध कर दिया जिससे कि प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 1285 में कृषि कार्य हेतु नहीं जा सके जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है व अप्रार्थीगण को रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है तथा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए निकटतम व सुविधाजनक रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है व

Scanned by CamScanner

99

अप्रार्थीगण रास्ता नहीं दे रहे है व खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे चलित रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है व प्रार्थीगण उक्त रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है व यदि अप्राथीगण उक्त रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता अपने खेत खसरा संख्या 1285 में जाने के लिए नहीं रहेगा व प्रार्थीगण अपने खेत में कृशि कार्य करने से वंचित रह जायेंगे व अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1285 में से रास्ता घोशित किया जाना आवश्यक बताया व खसरा संख्या 1292 की पष्चिमी माठ के सहारे–सहारे खसरा संख्या 1285 तक रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया व नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का भाग बताते हुए प्रार्थना पत्र को न्यायालय को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार बताया व अंत में अपनी इस्तदुआ में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का अनुतोष चाहते हुए खसरा संख्या 1285 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1292 की पष्चिमी माठ के सहारे–सहारे 30 फिट चौड़ाई में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने की मांग की व आरटी एक्ट के प्रावधानों अनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णित करने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से वकील बख्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। भूमिधारी की ओर से दिनांक 03.03.2018 को वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया जाकर न्यायालय आदेश की पालनार्थ मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 07.03.2018 को न्यायालय में पेश की गई जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एतराज पेश करने पर न्यायालय द्वारा दुबारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट भूमिधारी से तलब की गई जिसकी पालनार्थ भूमिधारी द्वारा दुबारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.07.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एतराज पेष करने पर न्यायालय द्वारा तीसरी बार मौका कमिष्नर रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 13.06.2019 को तैयार की जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई।अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 13.06.2019 को तैयार की गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अंकन किया गया कि भूमिधारी ने सही मौका निरीक्षण नहीं किया व मिथ्या रूप से मौका रिपोर्ट पेश की है तथा खसरा नंबर 1272 गैर मुमकिन कटाणी रास्ता खसरा नंबर 1297 तक चलता है तथा खसरा संख्या 1297 के चिपते ही खसरा संख्या 1285 प्रार्थीगण का स्थित है इसी रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है व यही वैकल्पिक रास्ता है जिसे मौका कमिश्नर ने अपने नजरी नक्शे में नहीं बताया है व दिनांक 13.06.2019 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट को डी पार्ट में रखने व पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की मांग अपने प्रार्थना पत्र में की तथा अप्रार्थीगण अपने जवाब प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से अंकन किया कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1285 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1272 गैर मुमकिन कटाणी रास्ता से स्थित है जो खसरा संख्या 1285

उपखण्ड अधिकारी

100

के नजदीक है तथा प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते व जाते है तथा प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1292 का कभी भी उपयोग उपभोग नहीं किया व खसरा संख्या 1292 वैकल्पिक रास्ता व नजदीकी रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस वकुलाय सुनी गयी मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटी एक्ट व मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 बाबत अप्रार्थीगण के आपत्ति प्रार्थना पंत्र पर बहस वकुलाय सुनी गई,पत्रावली का व उसमें उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का व मौका कमिश्नर रिपोर्टो का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तीन बार मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई गई है व दो बार अप्रार्थीगण के आपत्ति प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया गया है तीनों ही मौका कमिश्नर रिपोर्ट से स्पशट है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1285 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शे में अंकित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है व मौका कमिश्नर ने भी अपनी मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 में खसरा संख्या 1285 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 1292 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अन्य किसी खेत में से चलता हो या दिया जा सकता हो या नजदीक हो नहीं दर्शाया है ऐसी स्थिति में महज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता व मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 के संदर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य या ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि साबित होता हो कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1285 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ के अलावा अन्य कोई रास्ता हो या खसरा संख्या 1272 में से कोई रास्ता हो जो खसरा संख्या 1285 तक जाता हो व नजदीकी हो तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 व दिनांक 03.03.2018 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1285 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है व खसरा संख्या 1285 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 1292 की पश्चिमी माठ से मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 में दर्शित नक्शे अनुसार मार्क ए बी जायगा ही वैकल्पिक व सुविधाजनक रास्ता है व दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1292 में से मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार लाल स्यांही से दर्शाये अनुसार अप्रार्थीगण के ग्राम कोसाणा में स्थित खसरा संख्या 1292 में से 01 बीघा 03 बिस्वांसी भूमि यानि 1632 वर्ग मीटर रास्ते के उपयोग हेतु

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

101

घोषित की जाती है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का अंग समझा जावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त DLC दर अनुसार ग्राम कोसाणा में स्थित खसरा संख्या 1292 की प्रति हैक्टेयर दर 1,69,576/–रूपये है। रास्ते के काम आई भूमि 01 बीघा 03 बिस्वांसी भूमि की कीमत 27,675/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राषि नियमानुसार 55,350/–रूपये बनती है जो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार जरिये चैक/डीडी द्वारा जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर के भुगतान करे। प्रार्थीगण चैक/डीडी अप्रार्थीगण के नाम से तैयार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रस्तुत करे व तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम कर मौके पर रास्ता दुरस्त करवा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner